

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/राजस्व/03/2021

कप्तानसिंह पुत्र गिराज जाति कुशवाह निवासी अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

....अपीलान्त

बनाम

राज० सरकार जरिए तहसीलदार भरतपुर।

.....रेस्पो०

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरुद्ध निर्णय दि०
04.01.2021 न्यायालय तहसीलदार भरतपुर उनवानी राज०
सरकार बनाम कप्तान प्रकरण सं. 03/2020 अन्तर्गत धारा 91
एलआर एक्ट

उपस्थित :-

- 1-श्री मुरारीलाल एड०, अभिभाषक अपीलान्त।
- 2-राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक 28.10.2021

अपीलान्त द्वारा यह अपील विरुद्ध रेस्पो० व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर के निर्णय दि० 04.01.2021 तहसीलदार भरतपुर के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार भरतपुर ने अतिक्रमी अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 775/0.12 गै०मु०मरघट में से 0.06 है० पर पक्का मकान, पशुवाडा व झोपडी डालकर, से बेदखल किये जाने एवं शास्ती आरोपित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।


अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेण्ट के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर से तहत पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध व मौके व साक्ष्य के विपरीत है जो कि

मास्त किये जाने योग्य है। बिना पैमाइश किये अपीलाधीन आदेश दिया गया है जबकि मरघट का रकबा 80 एयर पूर्ण है। तहत न्यायालय ने पटवारी हल्का से जिरह करने का कोई मौका नहीं दिया है और न ही पटवारी के बयान कराये गये है। विवादित आराजी स्व0 गिराज के वारिसान का कब्जा है जो रथाई पक्का व रिहायशी है जिसमे 50 वर्षों से रिहायश कर रहे है। अपीलान्ट को पक्के निर्माण बाबत जो नोटिस दिया गया है वह माता अतरकौर को इन्द्रा आवास योजना के तहत बना हुआ है। इस पर अपीलान्ट के पूर्वजों के मकान व नौहरे थे। विवादित आराजी ख0न0 776 जो कि अपीलान्ट की खातेदारी के रकबा में है तथा नोटिस में वर्णित खसरा नम्बर की जगह 80 एयर अलग है। खसरा नम्बर 775/0.12 की भूमि की पैमाइश की जावे तो वह पोखर, पशु हांस्पीटल व उत्तर दिशा की ओर लगे खेतों एवं आरसीसी की जगह से पूरी हो जावेगी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अवगत कराया है कि पटवारी हल्का द्वारा पक्का मकान व पशुवाडा बनाने की रिपोर्ट की है, जबकि गै0मु0 मरघट मौके पर बदस्तूर राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजूद है। इस तथ्य की ओर तहत न्यायालय ने कोई गौर न देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। खसरा नम्बर 774 व 775 बच्चूसिंह, कप्तान, मुरारी की है जिसमें कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा जिसमें कमरे व टीन शैड डली हुई है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी गैर मुमकिन मरघट पर पक्का मकान, पशुवाडा व झोपडी बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नियमान्तर्गत की है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित व सही है। अन्त में राजकीय अभिभाषक ने अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।


हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का अघापुर द्वारा अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 775/0.12 में से 0.06 है0 गै0 मु0 मरघट पर पक्का मकान, पशुवाडा व झोपडी बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है। तहत पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा कोई जबाब या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे अपीलान्ट किसी भी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नहीं रहता है। तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।


जिला क्लर्क
भरनपुर (राज0)

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ पत्रावली तहत अदालत को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर